Indian J. Soc & Pol. 03(01): 2016 : 93-102 **ISSN 2348-0084 (P)**
ISSN 2455-2127 (O)

समतामूलक उच्च शिक्षा : भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली के सन्दर्भ में

बसन्त बहादुर सिंह[1], राधा परमार[2]
[1]एसोसिएट प्रोफेसर, शिक्षा संकाय, आर॰बी॰एस॰ कॉलेज, आगरा,(उ0प्र0),भारत
[2]अनुसंधित्सु, शिक्षा संकाय, आर॰बी॰एस॰ कॉलेज, आगरा ,(उ0प्र0),भारत

ABSTRACT

भारत में उच्च शिक्षा में व्यापक रूप से असमानताएँ विद्यमान है जो न केवल विभिन्न सामाजिक वर्गों में परिलक्षित हो रही है। वरन् लिंगमूलक आधार पर, धर्म के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर भी विद्यमान है। सामाजिक वर्गों में आदिवासियों, अनुसूचित जातियों में महादलितों, विभिन्न धर्मों में मुसलमानों में, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि श्रमिकों में, शहरी क्षेत्रों में आकस्मिक श्रमिकों में उच्च शिक्षा तक पहुँच का स्तर अत्यधिक नीचा है जो इन वर्गों के सकल नामांकन अनुपात से ज्ञात होता है। औसत मासिक उपयोग व्यय के आधार पर भी सकल नामांकन अनुपात में बड़े पैमान की विषमताएँ विद्यमान है जो परिवार उच्च औसत मासिक उपयोग व्यय वर्ग में है, उनमें सकल नामांकन अनुपात ऊँचा है। इसके विपरीत जिन परिवारों का औसत मासिक उपयोग व्यय नीचा है, उनमें सकल नामांकन अनुपात भी नीचा है। आंशिक रूप से संतोष की बात यह है कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों, मुसलमानों तथा नीचे औसत मासिक उपयोग व्यय वर्ग में सकल नामांकन अनुपात की संवृद्धि दर अन्य वर्गों की तुलना में ऊँची है। लेकिन दुर्भाग्य का विषय यह भी है कि उच्च शिक्षा की लगातार बढ़ती लागत को वहन करने की नीची क्षमता के चलते उच्च शिक्षा संस्थानों में विशेष रूप से निजी संस्थानों में प्रवेश लेने की सम्भाव्यता अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों मुसलमानों, भूमिहीन श्रमिकों अकास्मिक मजदूरों के परिवारों में काफी नीची है।

KEYWORDS: *उच्च शिक्षा, समता, लिंग भेद, जाति भेद, ग्रामीण, शहरी*

उच्च शिक्षा में समता से तात्पर्य समाज के सभी वर्गों तक उच्च शिक्षा की सुविधाएँ पहुँचाने से है। ऐतिहासिक दृष्टि से उच्च शिक्षा में जिन वर्गों और समुदायों का प्रतिनिधित्व कम है उन सभी की पहुँच समान रूप से उच्च शिक्षा तक हो। भारत सहित विश्व के अनेक देशों में अभी भी समाज के कुछ वर्गों जैसे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों, अन्य पिछड़ी जातियों, आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों, अल्पसंख्यकों, नृजातिय अल्पसंख्यकों आदि की उच्च शिक्षा संस्थाओं तक पहुँच अभी भी सीमित है।

उच्च शिक्षा में समता को तीन रूपों में व्यक्त किया जा सकता है।(बेन्सिमॉन,2009पृ॰13)

1. प्रतिनिध्यात्मक समता : किसी संस्थान में प्रत्येक स्तर पर अल्प प्रतिनिधित्व वाले विद्यार्थियों की आनुपातिक सहभागिता यह इंगित करती है कि उस क्षेत्र/राज्य/राष्ट्र की उच्च शिक्षा प्रणाली में समाज के विभिन्न वर्गों एवं समूहों का प्रतिनिधित्व किस प्रकार का है। आदर्श स्थिति तो यह होनी चाहिए कि देश की कुल जनसंख्या जिस वर्ग/समूह का अनुपात जितना हो उतना ही अनुपात उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों/लाभार्थियों में भी होना चाहिए। लेकिन वास्तविक धरातल पर ऐसा हो नहीं पाता। सामाजिक–आर्थिक–राजनीतिक–धार्मिक कारणों से समाज के विभिन्न वर्ग समान रूप से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते और आगे चलकर उनकी यही कमजोरी उनमें अल्प क्षमता विकास का कारण बन जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे विकसित देशों में आज भी अश्वेत उच्च शिक्षा के मामले में श्वेतों से पिछड़े हैं। भारत में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ी जातियों, मुसलमानों का उच्च शिक्षा में प्रतिनिधित्व गैर–अनुसूचित जाति, गैर–अनुसूचित जनजाति, गैर–अन्य पिछड़ी जाति, गैर–मुसलमानों की तुलना में नीचा है। इतना ही नहीं, उच्च शिक्षा में अल्प प्रतिनिधित्व वाले इन्हीं वर्गों की महिलाओं का प्रतिनिधित्व तो और भी कम है। उच्च शिक्षा में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की भागीदारी अभी भी सीमित है। व्यावसायिक स्तर पर भी श्वेत वसन रोजगारों में आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से पिछड़े लोगों का सीमित प्रतिनिधित्व उनकी दूसरी एवं तीसरी पीढ़ी तक परिलक्षित होता है।

2. संसाधनात्मक समता : प्रायः यह देखा गया है कि उच्च शिक्षा के लिये जो संसाधन उपलब्ध होते हैं उनका वितरण असमान होता है। इसके चलते उच्च शिक्षा के कुछ पाठ्यक्रम इस सीमा तक महँगे हो जाते हैं कि उन तक आर्थिक दृष्टि से कमजोर विद्यार्थियों की पहुँच सामान्यतः नहीं हो पाती। इसी तरह से समाज के अनेक वर्गों के विद्यार्थी उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। संसाधन समता प्राप्त करने के लिये उच्च शिक्षा के संसाधनों के वितरण में समता–अन्तरालों को पाटना महत्वपूर्ण होता है। समतामूलक उच्च शिक्षा के लिए उच्च स्तर शिक्षा के संस्थानों का वितरण ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में जितना अधिक समतामूलक होगा उच्च शिक्षा भी उतनी ही अधिक समता–मूलक होगी। इसी प्रकार अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य, अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में उच्च शिक्षा की शिक्षण संस्थाओं की

1: Corresponding Author

स्थापना एवं सकारात्मक भेदभाव नीति (Policy of Positive Discrimination) से इन वर्गों की उच्च शिक्षा तक पहुँच को बढ़ाया जा सकता है।

3. समता प्रवणता : समता प्रवणता से तात्पर्य उच्च शिक्षा संस्थानों के शीर्ष नेतृत्त्व, संकाय सदस्यों और अन्य कर्मियों की उस सोच और मनोवृत्ति से सम्बन्ध रखता है जो सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से कमजोर तथा अल्पप्रतिनिधित्व वाले विद्यार्थियों के प्रति किस प्रकार का व्यवहार रखते हैं और समतामूलक शिक्षा के लिए वे किस सीमा तक जागरूक और इच्छुक है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त उच्च शिक्षा में समता के मामले में उच्च शिक्षा संस्थानों का समता मूलक वितरण महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विश्व के विभिन्न देशों, विशेषतः आर्थिक दृष्टि से पिछड़े और विकासशील देशों में उच्च शिक्षा का विकास शहरी क्षेत्रों–विशेष रूप से महानगरों तक सीमित रहा है जिससे बहु–संख्यक ग्रामीण विद्यार्थी उच्च शिक्षा की सुविधाओं से वंचित रह गये हैं।

भारत में समग्र रूप से ग्रामीण, पर्वतीय, रेगिस्तानी और जन–जातीय क्षेत्रों के लोग उच्च–शिक्षा की सुविधाएँ उस सीमा तक प्राप्त नहीं कर पाते, जिस सीमा तक शहरी क्षेत्रों के विद्यार्थी प्राप्त कर लेते हैं। इन क्षेत्रों में भी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों, अन्य पिछड़ी जातियों तथा अल्पसंख्यकों को समतामूलक उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं है। आर्थिक संसाधनों की सीमितता के चलते इन वर्गों के अनेक होनहार बच्चे संसाधनों की कमी से उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। अन्ततः प्रशासनिक, न्यायिक, सैन्य, अर्ध–सैन्य, प्रबन्धकीय एवं चिकित्सकीय सेवाओं में उनका प्रतिनिधित्व भी सीमित रह जाता है। समतामूलक उच्च शिक्षा यह सुनिश्चित करती है कि देश की आर्थिक प्रगति और प्रतिस्पर्धात्मकता, सामाजिक स्थायित्व और सांस्कृतिक समृद्धि में समाज के सभी वर्गों का योगदान और प्रतिनिधित्व हो। वैश्विक स्तर पर अफ्रीका महाद्वीप में अधिसंख्य अश्वेत सं॰रा॰ अमरीका में, रेड इण्डियन, लैटिन अमरीकी देशों के अश्वेत निवासियों में से आज भी अधिसंख्य युवा स्नातक की उपाधि प्राप्त नहीं कर पाते।

समतामूलक उच्च शिक्षा की उपलब्धियों में जवाबदेही की सुनिश्चितता एक महत्वपूर्ण तत्व है। उच्च शिक्षा में असमानता, व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्र सभी के लिए हानिकारक है। यह आर्थिक और सामाजिक दोनों ही रूपों में बेरोजगारी की दरों, कल्याणकारी योजनाओं की लागतों, मतदान का प्रतिशत, आय एवं स्वास्थ्य देखभाल जैसे मामलों में सम्पूर्ण राष्ट्र को प्रभावित करती है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में जब भारत के युवाओं की सकारात्मक और सक्रीय भूमिका निभाने की बात आती है तो भारत वैश्विक स्तर पर काफी पीछे नजर आता है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के 66 वर्षों के बाद भी अभी तक यह तय नहीं हो पाया है कि समतामूलक उच्च शिक्षा सुनिश्चित करने की जवाबदेही राज्य सरकार और केन्द्र सरकार में से किसकी है। केन्द्र सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय और विश्व विद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से उच्चशिक्षा संस्थानों को अनुदान देकर अपने दायित्वों की इतिश्री कर लेती है जबकि राज्य सरकारें संसाधनों की कमी का रोना रोकर समतामूलक उच्च शिक्षा के प्रति अपने दायित्वों से विमुख रहती है। उच्च शिक्षा में समता का अर्थ प्रायः विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान किये जाने मात्र से नहीं लगाया जाना चाहिए। डिग्री किसी व्यवसाय या नौकरी को प्राप्त करने का एक साधन तो हो सकती है लेकिन यह व्यक्ति के अर्थपूर्ण और सम्मानजनक रोजगार की संभाविता को सुनिश्चित नहीं करती। अधिकांश देशों में संस्थात्मक रूप से सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि प्रतिवर्ष वितरित की जाने वाली डिग्रियों की संख्या को ही समतामूलक उच्चशिक्षा के प्रति जवाबदेही का सूचक मान लिया जाता है और जातिगत, वर्गगत तथा धर्मगत अन्तरालों पर विचार नहीं किया जाता जबकि ये सूचक समता के मुद्दे को अधिक सकारात्मक ढंग से हल करने पर जोर देते हैं।

उच्च शिक्षा में समता लाने के लिये विभिन्न प्रकार की अनेक पहलें की गई हैं। किन्तु इसके बावजूद भारत की उच्च–शिक्षा प्रणाली समतामूलक उच्च शिक्षा की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरती। उच्चशिक्षा में विविधीकृत कार्यक्रम अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों, अन्य पिछड़ी जातियों एवं अल्पसंख्यकों में नामांकन आँकड़ों में हो रही वृद्धि पर केन्द्रित होते दिखाई देते हैं। समता से जुड़े मुद्दे पर विचार करने के लिए उच्च शिक्षा प्रणाली को अधिक व्यावहारिक बनाए जाने के लिए आँकड़ों को आधार बनाया जाना चाहिए जो विभिन्न विद्यार्थियों की उपलब्धियों के अन्तराल को पाटने में उत्प्रेरक की भूमिका निभातें हों। समतामूलक शिक्षा की स्थापना के लिये उच्च शिक्षा के उच्च और प्रतिष्ठित संस्थानों में आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से कमजोर विद्यार्थियों को प्रवेश दिलाने और उनकी रोजगार संभावित को बढ़ाये जाने पर केन्द्रित होना चाहिए। भारत के विशाल आकार को देखते हुये अल्पसंख्यक बाहुल्य, जन–जातीय बाहुल्य तथा दलित बाहुल्य क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाले उच्च शिक्षा संस्थानों की स्थापना समतामूलक उच्च शिक्षा के सृजन हेतु एक कारगर नीति सिद्ध हो सकती है।

एक जवाबदेह प्रणाली शैक्षणिक गुणवत्ता मूल्यांकन एवं मूल्यांकन प्रणाली में समता सुनिश्चित करने के लिए नीति निर्धारकों से समर्थन पाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। कतिपय नीति निर्माता तथा संस्थानों का शीर्ष नेतृत्व छद्म तरीके से दलितों, आदिवासियों तथा अल्पसंख्यकों के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा की मुख्यधारा में सम्मिलित करने का प्रपंच रचता रहता है। भारत में संवैधानिक एवं सांविधिक तरीके से जाति, धर्म, लिंग, भाषा तथा क्षेत्रयीता के आधार पर किसी को भी उच्चशिक्षा के किसी भी शिक्षा संस्थान में प्रवेश लेने से रोका नहीं जा सकता। लेकिन अभिजात्य–वर्गीय मानसिकता के चलते हिन्दी भाषा तथा क्षेत्रीय भाषाओं के विद्यार्थियों के समक्ष अनेक प्रकार की बाधाएँ खड़ी की जाती हैं। भारत के शहरी क्षेत्रों में अंग्रेजी माध्यम के पब्लिक स्कूलों की आयी बाढ़ इसी प्रवृत्ति का द्योतक है।

समतामूलक उच्च शिक्षा हेतु एक जवाबदेह प्रणाली विकसित करने के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश लेने एवं डिग्री प्राप्त करने वालों के बारे में जाति, धर्म, लिंग, मातृभाषा एवं क्षेत्रीयता के आधार पर विस्तृत आँकड़े संग्रहित किए जाने की आवश्यकता है।

नीतियाँ एवं संस्थान, जो समावेशी हैं, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी सीखने योग्य सम्भाव्यता को प्राप्त करने तथा उपादेय व सार्थक ज्ञान एवं कौशल प्राप्त करने एवं समाज के एक जागरूक और उत्तरदायी सदस्य के रूप में कार्य करने लायक बनाने तथा समावेशी आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित करने में उल्लेखनीय भूमिका निभा सकते हैं। इस तरह से उच्च शिक्षा सहित सम्पूर्ण उच्चशिक्षा प्रणाली में समावेशिता तथा समता मूलक पहुँच एक वृहत एवं विविधीकृत मानव संसाधन आधार की स्थापना हेतु प्रमुख कारक हैं। यह समावेशी आर्थिक संवृद्धि के लिए आवश्यक, जो उच्चशिक्षा से वंचित समूहों को उच्चशिक्षाा की मुख्य धारा में शामिल करके न केवल उनकी रोजागार परकता को बढ़ा सकती है वरन् देश के विकास में ऐसे वर्गों की एक वृहत्तर भागीदारी सुनिश्चित कर सकती है।(सार्वी जौको,2012,पृ॰अपपण)

कुछ विद्वानों का अभिमत है कि उच्च शिक्षा में समता का मानक यह होना चाहिए कि उच्च शिक्षा तक पहुँच और प्रकृति इस प्रकार की हो जो विद्यार्थी के अभिलक्षणों के अनुसार उपादेय हो और जिसका लाभ विद्यार्थियों को अपना भविष्य सँवारने में मिले। ऐसी शिक्षा विद्यार्थियों के स्वयं के अकादमिक ज्ञान और अभिप्रेरणाओं के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए न कि अन्य अभिलक्षणों जैसे कि परिवार का आर्थिक स्तर और परिवार की सामाजिक और नृजातीय, पृष्ठभूमि, रंग, लिंग, धर्म अथवा स्थान। इन लोगों का तर्क है कि इस प्रकार की समता में यह अन्तर्निहित है कि उच्च शिक्षा के संस्थानों का यह कर्त्तव्य हो कि वे विद्यार्थियों के प्रवेश और आसन व्यवस्था में विद्यार्थियों के वास्तविक ज्ञान प्रवीणता, प्रतिभा और अभिप्रेरणा जैसे कारकों को ही आधार बनायें। इस प्रकार समता का सिद्धान्त पहुँच तक समानता और आसन व्यवस्था के कार्यक्रमों में विवेकशीलता प्रदान करता है। विशेष तौर पर तब जबकि प्रासंगिक अभिलक्षण एक जैसे हों।(वही,पृ04)

तालिका 1 : भारत एवं वैश्विक स्तर पर उच्च शिक्षा में अल्प प्रतिनिधित्व वाले वर्ग

भारत	विश्व
• धार्मिक अल्पसंख्यक– विशेष रूप से मुसलमान तथा नवबौद्ध • सामाजिक भेदभाव–अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जन जातियाँ, अन्य पिछड़ी जातियाँ • कमजोर आर्थिक स्थिति • महिलाएँ • शारीरिक विकलाँग • भाषायी अल्पसंख्यक • ग्रामीण परिवेश के विद्यार्थी	• रंग भेद नीति का शिकार अश्वेत • प्रथम श्रेणी के आप्रवासी • सामाजिक जातियाँ • अन्तर्राष्ट्रीय विद्यार्थी • धार्मिक अल्पसंख्यक–गैर–ईसाई • कमजोर आर्थिक स्थिति • महिलाएँ • शारीरिक विकलाँग • ग्रामीण परिवेश के विद्यार्थी

इस प्रकार उच्च शिक्षा में समानता और समता का सिद्धान्त(बुल,2004पृ02)

1. विद्यार्थियों को अनुचित भेदभाव से बचाता है।
2. विद्यार्थियों की अपेक्षाओं के अनुरूप उच्च शिक्षा के विस्तार हेतु एक नैतिक विवेकशीलता प्रदान करता है।
3. समाज में उच्च मूल्य युक्त उच्च शिक्षा को भले ही अधिकतम न करता हो लेकिन बढ़ाता अवश्य है।
4. विद्यार्थियों को अपनी रूचि का पाठ्यक्रम चुनने की स्वतंत्रता प्रदान करता है तथा यदि वे इच्छुक हैं तो उच्च शिक्षा प्रणाली में सम्मिलित होकर उन्हें एक अर्थपूर्ण जीवन जीने के लिए उनकी अपेक्षाओं का आदर करता है।

इस प्रकार की नीति अपनाने से उन विद्यार्थियों में क्षोभ उत्पन्न नहीं होता जो अत्यधिक योग्य और विद्वान होते हैं क्योंकि उन्हें अपनी योग्यता के अनुरूप सम्मानजनक रोजगार के अवसर प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन इस नीति से सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से कमजोर, उपेक्षित और वंचित वर्गों के उत्थान का मार्ग बन्द हो जाता है। अपनी कमजोर आर्थिक और सामाजिक स्थिति दूर–दराज के क्षेत्रों में निवास, पिछड़े क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के उच्च गुणवत्ता के संस्थानों का न होना जैसे कारकों के चलते किसी प्रकार की निर्योग्यताओं के न होने के बावजूद इन वर्गों के विद्यार्थी संसाधनों की कमी के कारण उच्च शिक्षा के प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रवेश प्राप्त नहीं कर पाते और विकास की दौड़ में पिछड़ जाते हैं। यदि समता के प्रतिष्ठित सिद्धान्त के अनुरूप आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े छात्रों के लिये सकारात्मक भेदभाव की नीति नहीं अपनायी जाती तो उन्हें आर्थिक पायदान पर ऊँचा नहीं उठाया जा सकता। यही कारण है कि भारत जैसे विकासशील और अन्य पिछड़े देशों में गुणवत्ता युक्त उच्च शिक्षा से वंचित वर्गों के लिये उच्च

शिक्षा संस्थानों में प्रवेश और आसन व्यवस्था हेतु आरक्षण की नीति अपनायी जाती है।

यहाँ एक तथ्य विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि उच्च शिक्षा में समता का सिद्धान्त जहाँ नैतिक आधार पर समाज के सभी वर्गों को उच्च शिक्षा की सुविधायें मुहयिया कराने पर बल देता है इस तथ्य पर भी विचार करता है कि जो लोग रंग, जाति, धर्म, क्षेत्रियता अथवा भाषायी आधार पर अथवा कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं उनके लिए पृथक से प्रावधान किये जाने चाहिए भले ही इसके लिए उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश और आसन व्यवस्था के लिये आरक्षण जैसे सकारात्मक भेद–भाव प्रावधान ही क्यों न करना पड़े। इसके विपरीत उच्च शिक्षा में समानता का सिद्धान्त इस बात पर भी बल देता है कि विद्यार्थियों की स्वयं की अभिरूचि, योग्यता और अभिप्रेरणा के अनुरूप बिना किसी भेद–भाव के उच्च शिक्षा के विभिन्न पाठ्यक्रमों तक उनकी एक समान पहुँच होनी चाहिए। उच्च शिक्षा में समानता के सिद्धान्त को अपनाने में कम से कम निम्नलिखित तत्व निहितार्थ है।(वही,पृ06)

1. उच्च शिक्षा प्राप्त करने की अभिलाषा रखने वाले सभी विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा संस्थानों तक एक समान पहुँच होनी चाहिए।
2. नृजातीयता, रंग, धर्म, लिंग, भौगोलिक पृष्ठभूमि आदि के आधार पर उच्च शिक्षा तक पहुँच अथवा आसन व्यवस्था में किसी प्रकार का भेद–भाव नहीं होना चाहिए।
3. उच्च शिक्षा से पहले सभी विद्यार्थियों को शिक्षा पाने का अधिकार हो जिसके माध्यम से वे अच्छे नागरिक बन सकें। उन्हें अपनी श्रेष्ठता और योग्यता विकसित और प्रदर्शित करने के लिए सुसंगत अवसर प्राप्त हो सकें। शिक्षा प्राप्त करने के मामले में उनमें अपनी अभिरूचि के अनुरूप पाठ्यक्रम चुनने की योग्यता विकसित हो सके तथा वे अपनी अभिलाषाओं के अनुरूप उच्च शिक्षा की सार्थकता को समझ सकें।
4. यदि वे उच्च शिक्षा प्राप्त करने की अभिलाषा रखते हैं तो उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए और जो उनके व्यक्तित्व के अनुरूप हो।
5. समाज का यह दायित्व है कि वह उच्च शिक्षा के लिए समुचित अवसर उपलब्ध कराये ताकि विद्यार्थियों की अभिलाषाएँ पूर्ण हो सकें।
6. उच्च शिक्षा में प्रवेश करते समय सभी पाठ्यक्रम विकल्पों तक स्वतन्त्र और संसूचनात्मक पहुँच होनी चाहिए और जो उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने की दृष्टि से सार्थक हो।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारत में उच्च शिक्षा में समानता के सिद्धान्त को अपनाया गया। लेकिन उसमें समता का सिद्धान्त सार्वभौमिक रूप से निहित था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद–15 में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि–(भारत,2009,पृ05)

1. राज्य किसी नागरिक के विरूद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा।
2. कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर
   (क) दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश, या
   (ख) पूर्णतः या भागतः राज्य–निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के सम्बन्ध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बधन या शर्त के अधीन नहीं होगा।

इस दृष्टि से भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त करने की अभिलाषा रखने वाले सभी विद्यार्थियों की बिना किसी भेद–भाव के एक समान पहुँच है। लेकिन इसी के साथ–साथ भारतीय संविधान के इसी अनुच्छेद में शिक्षा में समानता के लिए शिक्षा में समानता के सिद्धान्त का पालन करने के लिए सकारात्मक भेद–भाव अपनाये जाने की बात भी कही गयी है।

3. इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबन्ध करने से निवारित नहीं करेगी।

अनुच्छेद–15(4) के अनुसार– इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद–29 के खण्ड (2) की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुये नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन–जातियों के लिए कोई विशेष उपबन्ध करने से निवारित नहीं करेगी।

इन्हीं प्रावधानों के तहत भारत में केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा वित्त–पोषित शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जातियों, जन–जातियों, अन्य पिछड़ी जातियों तथा कतिपय चुनिन्दा मामलों में स्थान आरक्षित किये गये हैं। सकारात्मक भेद–भाव के ये प्रावधान इसलिए किये गये हैं कि शताब्दियों से वंचित और उपेक्षित इन वर्गों के लोग साधन सम्पन्न वर्गों के समकक्ष बराबरी पर आ सकें। विगत दो दशकों में भारत में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निजी क्षेत्र में स्व–वित्तपोषित संस्थाओं–महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की संख्या में आशातीत वृद्धि हुई है, जो अधिकांशतः उच्च शिक्षा में समानता के सिद्धान्त पर संचालित होती है।

भारत में समतामूलक उच्च शिक्षा : एक विश्लेषण :

समय–समय पर की जाने वाली जनगणनाओं में भी साक्षरता एवं शिक्षा स्तर से सम्बन्धित आँकड़े एकत्रित किए जाते हैं। यद्यपि ये आँकड़े अधिक विश्वसनीय होते हैं, क्योंकि उनमें देश के सभी व्यक्तियों के बारे में सूचनाएँ प्राप्त की जाती है। तथापि इनमें समय अन्तराल अधिक होने के कारण इनकी

उपयोगिता कम रह जाती है। वर्ष 2011 की जनगणना के शिक्षा की विविधता से सम्बन्धित आँकड़े जनवरी 2015 तक भी उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। 15 वर्ष पुराने जनगणना 2001 के आँकड़ों के अनुसार भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात मात्र 8.99 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों में 24.52 प्रतिशत था। जबकि सम्पूर्ण जनसंख्या के लिए सकल नामांकन अनुपात 13.8 प्रतिशत था। अनुसूचित जातियों के लिए सकल नामांकन अनुपात 8.4 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5 प्रतिशत था।

तालिका 4.3 से भारत में उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात की जो जानकारी प्राप्त होती है, उसके अनुसार यह तो पता चलता है कि समग्र रूप से सकल नामांकन अनुपात वर्ष 1950–51 में 0.40 से लगभग 53 गुना बढ़ कर वर्ष 2012–13 में 21.1 हो गया है। सकल नामांकन अनुपात में यह सुधार देश की अपेक्षाओं – आर्थिक विकास का स्तर तथा देश को प्राप्त 'जनांकिकीय लाभांश' के दोहन की सम्भाव्यता – के अनुरूप नहीं है। सम्पूर्ण जनसंख्या के लिए सकल नामांकन अनुपात 2001–02 में 8.1 से बढ़ कर वर्ष 2012–13 में 21.1 हो गया। इसी अवधि में अनुसूचित जातियों में सकल नामांकन अनुपात 5. 8 से बढ़कर 15.1 ही हो सका। अनुसूचित जनजातियों के लिए यह 4.2 से बढ़कर 2012–13 में 11.0 हो पाया।

तालिका 4.3 : भारत में उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (18–23 वर्ष)

वर्ष	सभी वर्ग			अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति		
	पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला	कुल
2001–02	9.3	6.7	8.1	7.7	3.6	5.8	5.8	2.6	4.7
2002–03	10.3	7.5	9.0	8.0	3.7	6.0	5.6	2.4	4.0
2003–04	10.6	7.7	9.2	8.3	4.3	6.4	6.2	3.1	4.7
2004–05	11.6	8.2	10.0	8.1	5.2	6.7	6.3	3.5	4.9
2005–06	13.5	9.4	11.6	10.1	6.4	8.4	8.6	54.7	6.6
2006–07	14.5	10.0	12.4	11.5	6.9	9.4	9.5	5.5	7.5
2007–08	15.2	10.7	13.1	13.2	8.6	11.0	12.4	6.7	9.2
2008–09	15.8	11.4	13.7	12.5	8.3	10.5	11.6	6.7	9.2
2009–10	17.1	12.7	15.0	13.0	9.0	11.1	13.1	7.5	10.3
2010–11	20.8	17.9	19.4	14.6	12.3	13.5	12.9	9.5	11.2
2011–12	22.1	19.4	20.8	15.8	13.9	14.9	12.4	9.7	11.0
2012–13	22.3	19.8	21.1	16.0	14.2	15.1	12.4	9.7	11.0

भारत में उच्च शिक्षा में विभिन्न स्तरों पर अनेक प्रकार की असमानताएँ विद्यमान हैं। सरसरी तौर पर यें असमानताएँ सकल नामांकन अनुपात में परिलक्षित होती है। तालिका 4.4 में राज्यवार सकल नामांकन अनुपात को दर्शाया गया है। समग्र रूप से वर्ष 2011–12 में उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात 20.4 है। पुरूषों में यह 21.6 तथा महिलाओं में 18.9 है। समग्र रूप से झारखण्ड में सकल नामांकन अनुपात 8.4 है जबकि बिहार में 13.1 है। छत्तीसगढ़ में 11.0, त्रिपुरा में 11.6, पश्चिम बंगाल में 12.8 तथा असम में 14.4 है। पूर्वी भारत में ओडिशा में सकल नामांकन अनुपात 16.3 है। सकल नामांकन अनुपात में लैंगिक अन्तराल भी विद्यमान है। यह असम में मात्र 0.3 है, पश्चिम बंगाल में 3.0 है। इसे विडम्बना ही कहा जाएगी कि आधुनिक भारत में महिला सशक्तिकरण तथा महिला कल्याण की सबसे सशक्त और सार्थक पहल पश्चिम बंगाल में ही की गयी थी। राजाराम मोहन राय एवं ईश्वर चन्द्र विद्यासागर इसके जनक थे। स्वतंत्रता के 6 दशको के बाद उसी राज्य में 18–23 आयु वर्ग की मात्र 10.7 प्रतिशत छात्राएँ ही उच्च शिक्षा तक पहुँच पायीं है। बिहार में जहाँ 14.7 प्रतिशत छात्र उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेते हैं, वही 11.2 प्रतिशत छात्राएँ ही उच्च शिक्षा में अध्ययन कर पाती है।

पूर्वोत्तर के सभी राज्यों असम, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेद्यालय, नागालैण्ड, त्रिपुरा, मणिपुर की आर्थिक परिस्थितियाँ लगभग एक जैसी है लेकिन इसके बावजूद उच्च शिक्षा प्राप्त करने के मामले में भारी विषमताएँ विद्यमान हैं। वर्ष 2011–12 में ही मणिपुर में उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात सर्वाधिक है (33.4)। उसके बाद अरूणाचल प्रदेश का स्थान है (30.9) वहीं त्रिपुरा में यह सबसे कम (11.6) है। मणिपुर इस क्षेत्र का ऐसा राज्य है जहाँ पुरूषों की तुलना में महिलाओं में सकल नामांकन अनुपात अधिक है। मणिपुर में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में छात्रों की तुलना में छात्राओं की संख्या अधिक है।

पारम्परिक रूप से परिवार और समाज में अच्छी स्थिति पाने के कारण महिलाएँ उच्च शिक्षा पाने के प्रति भी जागरूक हैं। लगभग यही स्थिति अरूणाचल प्रदेश की है। लेकिन इसी क्षेत्र में त्रिपुरा में सकल नामांकन अनुपात मात्र 11.6 है। महिलाओं के मामले में मात्र 9.1 (राष्ट्रीय औसत से आधे से भी कम)। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और केरल देश के ऐसे तीन राज्य हैं जहाँ साम्यवादियों का सत्ता में रहने का अर्थ सर्वहारा वर्ग की सरकार होने से लगाया जाता है लेकिन इसके बावजूद त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में उच्च शिक्षा तक आम नागरिकों की पहुँच अभी भी सीमित है।

केरल देश का शत प्रतिशत साक्षरता वाला राज्य होने के बावजूद उच्च शिक्षा के मामले में अपने पड़ोसी राज्यों तमिलनाडु, कर्नाटक, से पिछड़ा हुआ है। केरल में 18–23 आयुवर्ग में सकल नामांकन अनुपात जहाँ 23.1 है, वहीं तमिलनाडु में यह 38.2 और कर्नाटक में 24.0 है। दक्षिण के ही एक अन्य राज्य आन्ध्र प्रदेश में सकल नामांकन अनुपात 27.6, पाण्डुचेरी में 37.1 तथा महाराष्ट्र में 27.4 है। गोवा में सकल नामांकन अनुपात 37.4 है।

गोवा, केरल, जम्मू एवं कश्मीर, मणिपुर, उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखण्ड देश के ऐसे राज्य हैं जहाँ वर्ष 2011–12 में 18–23 आयुवर्ग में उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात लड़कों की तुलना में लड़कियों में अधिक है।

पुरूषों में सकल नामांकन के मामले में असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखण्ड, केरल, मेघालय, मध्य प्रदेश ओडिशा, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल राष्ट्रीय औसत से नीचे हैं जबकि घटते क्रम में तमिलनाडु अरूणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, आन्ध्र प्रदेश, सिक्किम, महाराष्ट्र हरियाणा, उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, नागालैण्ड, पंजाब राष्ट्रीय औसत से आगे है।

महिला संवर्ग में 2011–12 में उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात गोवा, तमिलनाडु, मणिपुर, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र सिक्किम, उत्तराखण्ड, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, अरूणाचल प्रदेश तथा आन्ध्र प्रदेश में राष्ट्रीय औसत से अधिक है। जबकि झारखण्ड, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, मध्यप्रदेश, ओडिशा, नागालैण्ड राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात में राष्ट्रीय औसत से नीचे है।

उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात की दृष्टि से अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के युवक और युवतियाँ अन्य जातियों के अपने समकक्षों से बहुत पीछे हैं। वर्ष 2011–12 में ही सम्पूर्ण जनसंख्या के लिए पुरूष संवर्ग में सकल नामांकन अनुपात जहाँ 21.6 है, वहीं अनुसूचित जातियों में यह 13.5 तथा अनुसूचित जनजातियों में 12.4 है। महिला संवर्ग में समग्र सकल नामांकन अनुपात 18.9 के सापेक्ष अनुसूचित जाति की महिलाओं में 13.5 तथा अनुसूचित जनजाति की महिलाओं में 9.2 है।

अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों में सकल नामांकन अनुपात में राज्य वार विषमताएँ और भी अधिक व्यापक है। तमिलनाडु जैसे विकसित राज्य में अनुसूचित जातियों में सकल नामांकन अनुपात 27.1 है जो समग्र सकल नामांकन अनुपात (38.2) की तुलना में 11.1 प्रतिशतांक कम है। पुरूषों में सकल नामांकन अनुपात 28.7 है जो समग्र सकल नामांकन अनुपात (41.1) की तुलना में 12.4 प्रतिशतांक कम है। अनुसूचित जाति की महिलाओं में सकल नामांकन अनुपात 25.6 है जो समग्र सकल नामांकन अनुपात की तुलना में 9.6 प्रतिशतांक कम है। इस राज्य में अनुसूचित जनजातियों में सकल नामांकन अनुपात अनुसूचित जातियों की तुलना में कुछ अच्छा है। लगभग यही स्थिति बिहार, असम, हिमाचल प्रदेश राजस्थान में है। लेकिन मेघालय में अनुसूचित जातियों की तुलना में अनुसूचित जनजातियों के पुरूष एवं महिला युवा उच्च शिक्षा के मामले में बहुत पिछड़े हैं।

तालिका 4.7 : भारत में उच्च शिक्षा में लिंगमूलक समानता (2011–12)

क्रं0सं0	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	सभी वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	1.28	-	1.80
2.	आन्ध्र प्रदेश	0.74	0.79	0.65
3.	अरूणांचल प्रदेश	0.67	-	0.63
4.	टसम	0.98	0.96	0.90
5.	थ्बहार	0.76	0.57	0.76
6.	चण्डीगढ़	1.03	0.98	-
7.	छत्तीसगढ़	0.82	0.75	0.82
8.	दादरा और नगर हवेली	1.15	0.78	0.63
9.	दमन एवं द्वीप	2.53	2.12	0.51
10.	दिल्ली	0.94	0.79	-
11.	गेवा	1.16	1.00	0.96
12.	ुजरात	0.81	0.83	0.93
13.	हरियाणा	0.96	0.90	-
14.	हिमाचल प्रदेश	0.94	0.90	0.94
15.	जम्मू और कश्मीर	1.10	1.00	0.78
16.	झारखण्ड	0.84	0.65	1.00
17.	कर्नाटक	0.90	0.80	0.76
18.	केरल	1.39	1.85	1.16
19.	लक्षद्वीप	0.00	-	0.00
20.	मध्यप्रदेश	0.74	0.93	0.82
21.	महाराष्ट्र	0.84	0.83	0.57
22.	मणिपुर	1.07	0.94	0.83
23.	मेघालय	1.28	0.49	1.56
24.	थ्मजोरम	0.91	1.31	0.89
25.	नागालैण्ड	0.62	-	0.62
26.	उड़ीसा	0.78	0.79	0.79
27.	पाण्डिचेरी	0.90	0.83	-
28.	ंजाब	0.76	0.75	-
29.	राजस्थान	0.72	0.61	0.58
30.	सिक्किम	0.78	0.71	1.05
31.	तमिलनाडु	0.86	0.89	0.85
32.	त्रिपुरा	0.64	0.63	0.53
33.	उत्तर प्रदेश	1.16	1.19	0.81
34.	उत्तराखण्ड	1.05	1.02	1.19
35.	पश्चिम बंगाल	0.73	0.71	0.64
अखिल भारत		**0.88**	**0.88**	**0.74**

स्रोतः भारत सरकार (2013) : *ऑल इण्डिया सर्वे ऑन हायर एजूकेशन, 2011–12 मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली पृ0–18*

अनुसूचित जनजाति बहुल राज्य छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजातियों में उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात समग्र के लिए 5.1, पुरूषों के लिए 5.6 तथा महिलाओं के लिए 4.6 होना यह दर्शाता है कि देश के आदिवासी आज भी उच्च शिक्षा तक अति सीमित पहुँच ही रखते हैं। लगभग यही स्थिति आदिवासी बहुल अन्य राज्यों– झारखण्ड, मध्यप्रदेश, मेघालय, ओडिशा में हैं। झारखण्ड में अनुसूचित जनजाति के लिए सकल नामांकन अनुपात मात्र 3.9 है। अनुसूचित जनजातियों में सकल नामांकन अनुपात में लैंगिक अन्तराल राजस्थान में 6.9, नागालैण्ड में 8.0, महाराष्ट्र में 6.8 है।

अनुसूचित जातियों में भी उच्च शिक्षा में राज्यवार व्यापक रूप से उच्च शिक्षा में पहुँच के स्तर में असमानताएँ हैं। पंजाब की गणना देश के विकसित राज्यों में की जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति जनसंख्या का हिस्सा 31.9 प्रतिशत है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश (22.2 प्रतिशत) तथा प॰ बंगाल (23.5 प्रतिशत) का स्थान आता है। लेकिन पंजाब में अनुसूचित जाति संवर्ग के लगभग 8.2 प्रतिशत युवा ही उच्च शिक्षा के स्तर तक पहुँच पाते हैं। प॰ बंगाल में अनुसूचित जातियों के 8.6 प्रतिशत युवाओं की पहुँच उच्च शिक्षा तक है। 2011–12 में पंजाब में अनुसूचित जातियों में उच्च शिक्षा में पुरूष वर्ग में सकल नामांकन अनुपात 9.3 प्रतिशत और महिला वर्ग में मात्र 7.0 प्रतिशत है। दूसरी ओर झारखण्ड की गणना देश के अविकसित राज्यों में की जाती है। वहाँ उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात 5.4 प्रतिशत है। पुरूष संवर्ग में 6.5 प्रतिशत और महिला संवर्ग में 4.2 प्रतिशत है। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार देश में अनुसूचित जातियों की कुल जनसंख्या में से सर्वाधिक जनसंख्या (20.5 प्रतिशत) उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक पटल पर अनुसूचित जातियों ने धमाकेदार उपस्थिति दर्ज की है। अनुसूचित जाति की महिला सुश्री मायावती इस राज्य की चार बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। लेकिन इस बात का प्रभाव राज्य के अनुसूचित जातियों के युवक–युवतियों पर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के मामले में दिखायी नहीं देता। 2011–12 में उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों में सकल नामांकन अनुपात 12.5 प्रतिशत है। पुरूष वर्ग में 11.5 प्रतिशत तथा महिला वर्ग में 13.7 प्रतिशत है। स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति के युवाओं की तुलना में इसी वर्ग की युवतियों में उच्च शिक्षा के प्रति रूझान अधिक है। देश के एक अन्य बड़े पिछड़े राज्य बिहार में अनुसूचित जाति संवर्ग में सकल नामांकन अनुपात 8.3, प्रतिशत पुरूष वर्ग में 10.5 प्रतिशत और महिला वर्ग में 6.0 प्रतिशत है। एक अन्य पिछड़े राज्य छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जातियों में उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात 8. 8 प्रतिशत, पुरूष वर्ग 10.0 प्रतिशत और महिला वर्ग में 7.5 प्रतिशत है। मणिपुर और मिजोरम में कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का अनुपात काफी कम है लेकिन इनमें उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात राष्ट्रीय स्तर से काफी ऊँचा है। मिजोरम में सकल नामांकन अनुपात 79.2 और मणिपुर में 74.5 प्रतिशत है। मिजोरम में उच्च शिक्षा में अनुसूचित जातियों में सकल नामांकन अनुपात पुरूष एवं महिला दोनों में ही सम्पूर्ण भारत में किसी भी संवर्ग में सकल नामांकन अनुपात के सापेक्ष सर्वाधिक है। पूर्वोत्तर के ही एक अन्य राज्य मेघालय में अनुसूचित जातियों में सकल नामांकन अनुपात पुरूष संवर्ग में 48.6 है। लेकिन महिला संवर्ग में इसके आधे से भी कम अर्थात् 24.0 प्रतिशत है।

उच्च शिक्षा में पहुँच के मामले में लिंग मूलक समानता का विवरण तालिका 4.7 में दिया गया है। सम्पूर्ण भारत के लिए लिंगमूलक समानता निर्देशांक 0.88 प्रतिशत है। अनुसूचित जातियों के लिए भी 0.88 है और अनुसूचित जन–जातियों के लिए 0.74 है। इसका अर्थ है कि पुरूषों की तुलना में महिलाओं की पहुँच उच्च शिक्षा तक सीमित ही है। सभी संवर्गों के लिए केरल, मेघालय, गोवा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, जम्मू और कश्मीर राज्यों में लिंगमूलक समता निर्देशांक राष्ट्रीय औसत से ऊँचा और 1.00 से अधिक है जो इस बात का प्रतीक है कि इन राज्यों में पुरूषों की तुलना में महिलाओं की उच्च शिक्षा में पहुँच अधिक है। तमिलनाडु, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा जैसे विकसित राज्यों में लिंगमूलक समानता निर्देशांक 1.00 से नीचा होना यह दर्शाता है कि इन राज्यों में उच्च शिक्षा तक महिलाओं की पहुँच पुरूषों की तुलना में नीची है। अनुसूचित जातियों में लिंगमूलक समानता निर्देशांक का मान केरल में सर्वाधिक (1. 85) और सबसे मेघालय में सबसे कम (0.49) है। अनुसूचित जन–जातियों में लिंगमूलक समानता निर्देशांक का सर्वाधिक मान मेघालय (1.28) में और सबसे कम त्रिपुरा (0.64) में है। झारखण्ड, केरल, मेघालय, सिक्किम और उत्तराखण्ड में अनुसूचित जन–जातियों में लिंग मूलक समानता की स्थिति औसत से अच्छी है जबकि देश के सभी विकसित राज्यों में अनुसूचित जनजातियों की युवतियाँ उच्च शिक्षा के मामले में अपने ही संवर्ग के युवाओं तथा गैर अनुसूचित जातियों की युवतियों से पिछड़ी हुई है।

उच्च शिक्षा तक पहुँच की प्रवृत्तियों के विश्लेषण हेतु सभी वर्गों, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों में वर्ष 1999–2000, 2004–05 तथा 2011–12 में सकल नामांकन अनुपात का विवरण तालिका 4.8, 4.9 तथा 4.10 में दिया गया है। इन तालिकाओं का विश्लेषण करने पर निम्न तथ्य उजागर होते हैं :

- अखिल भारतीय स्तर पर उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात में वर्ष 1999–2000 के सापेक्ष 2011–12 में लगभग दुगनी वृद्धि हो गयी है। वर्ष 1999–2000 में समग्र सकल नामांकन अनुपात 7.79 प्रतिशत से बढ़कर 2011–12 में 20.4 प्रतिशत हो गया।

तालिका 4.4 : उच्च शिक्षा में राज्यवार सकल नामांकन अनुपात (18–23 वर्ष आयु वर्ग) 2011–12

क्रं0सं0	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	समग्र			अनुसूचित जातियाँ			अनुसूचित जनजातियाँ		
		पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आन्ध्र प्रदेश	31.8	23.4	27.6	25.9	20.4	23.1	25.6	16.6	21.0
2.	अरूणाचल प्रदेश	36.9	24.9	30.9	-	-	-	43.8	27.4	35.1
3.	असम	14.5	14.2	14.4	11.9	11.4	11.7	14.4	12.9	13.6
4.	बिहार	14.7	11.2	13.1	10.5	6.0	8.3	12.2	9.3	10.8
5.	छत्तीसगढ़	12.1	9.9	11.0	10.0	7.5	8.8	5.6	4.6	5.1
6.	गोआ	34.9	40.4	37.4	27.5	27.5	27.5	22.0	21.1	21.6
7.	गुजरात	19.3	15.7	17.6	19.6	16.2	18.0	10.1	9.4	9.7
8.	हरियाणा	28.4	27.3	27.9	18.8	16.9	17.9	-	-	-
9.	हिमाचल प्रदेश	25.7	24.2	25.0	14.3	12.8	13.5	21.0	19.7	20.4
10.	जम्मू एण्ड कश्मीर	22.6	24.9	23.7	2.8	2.8	2.8	2.3	1.8	2.0
11.	झारखण्ड	9.1	7.6	8.4	6.5	4.2	5.4	3.9	3.9	3.9
12.	कर्नाटक	25.2	22.8	24.0	17.1	13.7	15.4	14.4	11.0	12.7
13.	केरल	19.3	26.9	23.1	12.3	22.7	17.5	11.4	13.2	12.3
14.	मध्य प्रदेश	19.8	14.6	17.4	12.0	11.1	11.6	7.6	6.2	6.9
15.	महाराष्ट्र	29.7	24.8	27.4	27.1	22.5	24.9	15.9	9.1	12.5
16.	मणिपुर	32.3	34.4	33.4	76.7	72.4	74.5	24.8	20.5	22.7
17.	मेघालय	14.3	18.3	16.4	48.6	24.0	37.0	8.6	13.4	11.1
18.	मिजोरम	21.6	19.6	20.6	98.2	128.6	109.2	21.8	19.5	20.6
19.	नागालैण्ड	22.0	13.7	17.9	-	-	-	21.3	13.1	17.2
20.	उड़ीसा	18.4	14.3	16.3	10.2	8.1	9.1	8.4	6.6	7.5
21.	पंजाब	22.6	17.1	20.0	9.3	7.0	8.2	-	-	-
22.	राजस्थान	20.8	14.9	18.0	14.6	8.9	12.0	16.6	9.7	13.2
23.	सिक्किम	31.2	24.4	27.9	40.0	28.2	33.9	17.4	18.2	17.8
24.	तमिलनाडु	41.1	35.2	38.2	28.7	25.6	27.1	34.2	27.9	31.0
25.	त्रिपुरा	14.2	9.1	11.6	12.3	7.7	10.0	7.7	4.1	5.8
26.	उत्तर प्रदेश	15.6	18.1	16.8	11.5	13.7	12.5	20.8	16.9	18.9
27.	उत्तराखण्ड	26.5	27.9	27.2	16.3	16.7	16.5	27.4	32.6	30.0
28.	प॰ बंगाल	14.7	10.7	12.8	10.0	7.1	8.6	7.2	4.6	5.9
29.	अण्डमान–निकोबार द्वीप समूह	11.6	14.9	13.1	-	-	-	14.4	25.9	20.0
30.	चण्डीगढ़	52.4	53.8	53.0	19.4	19.0	19.2	-	-	-
31.	दादरा और नागर हवेली	6.2	7.1	6.5	6.7	5.2	6.1	1.6	1.0	1.3
32.	दमन एवं द्वीव	3.0	7.6	4.2	10.7	22.7	16.2	18.1	9.2	13.6
33.	दिल्ली	35.7	33.6	34.8	19.7	15.6	17.8	-	-	-
34.	लक्षद्वीप	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.0	0.0	0.0
35.	पाण्डिचेरी	39.1	35.1	37.1	36.8	30.6	33.5	-	-	-
अखिल भारत		**21.6**	**18.9**	**20.4**	**15.4**	**13.5**	**14.5**	**12.4**	**9.2**	**10.8**

स्रोत : *भारत सरकार (2013) : ऑल इण्डिया स्टैटिस्टिक्स ऑफ हायर एजूकेशन 2011–12, मानव संसाधन विकास मंत्रालय नई दिल्ली, पृ0 टी–17*

- उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, ओडिशा, नागालैण्ड, मध्य प्रदेश, केरल, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, बिहार तथा असम में उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात में उतनी भी वृद्धि नहीं हो सकी जितनी राष्ट्रीय स्तर

पर हुई। उत्तर प्रदेश में सकल नामांकन अनुपात वर्ष 1999–2000 में 7.58 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2011–12 में 16.8 प्रतिशत ही हो पाया जबकि मध्य प्रदेश में यह 9.12 प्रतिशत से बढ़कर 17.4 प्रतिशत हो गया।

- आन्ध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू–कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु आदि राज्यों में उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात में लगभग तिगुनी वृद्धि हुई। अरूणाचल प्रदेश में सकल नामांकन अनुपात वर्ष 1999–2000 में 2.22 प्रतिशत था जो 2011–12 में बढ़कर 30.9 प्रतिशत हो गया। आन्ध्र प्रदेश में यह इसी अवधि में 7.25 प्रतिशत में बढ़कर 27.6 प्रतिशत हो गया।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात के आँकड़े 2004–05 और 2011–12 की तुलना पर ही आधारित है। झारखण्ड में अनुसूचित जातियों में सकल नामांकन अनुपात 3.16 से बढ़कर 2011–12 में मात्र 5.4 ही हो पाया। इसी तरह पश्चिमी बंगाल में 4.7 से 8.6 हो पाया। वहीं उड़ीसा में यह 2004–05 में 2.76 से बढ़कर 2011–12 में 9.1 हो गया। सकल नामांकन अनुपात में सर्वाधिक वृद्धि मणिपुर में हुई जहाँ यह 2004–05 में 13.66 से बढ़कर 2011–12 में 74.5 हो गया। मानव विकास सूचकांक सर्वोच्च स्तर पर रहने वाले राज्य केरल में अनुसूचित जातियों में सकल नामांकन अनुपात 2004–05 में 8.11 से बढ़कर 2011–12 में 17.5 ही हो पाया। इस राज्य में अनुसूचित जाति के पुरूषों में सकल नामांकन अनुपात 2004–05 में 6.68 था जो 2011–12 में मात्र 12.3 हो पाया। लेकिन संतोषजनक बात यह रही कि इस राज्य में अनुसूचित जाति की महिलाओं में सकल नामांकन अनुपात 2004–05 में 9.42 से बढ़कर 2011–12 में 22.7 हो गया। बड़े राज्यों में उत्तर–प्रदेश में अनुसूचित जातियों में राजनीतिक सत्ता की ललक और राजनीतिक सशक्तिकरण के बावजूद उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हो पायी।

अनुसूचित जातियों में सकल नामांकन अनुपात वर्ष 2004–05 7.42 था जो 2011–12 में 12.5 ही हो पाया। इसी अवधि में पुरूषों में 8.8 से बढ़कर 12.5 और महिलाओं में 5.74 से बढ़कर 13.7 हो गया। सर्वहारा वर्ग की शक्ति पर 25 वर्ष से अधिक सत्ता में रहने वाले साम्यवादियों के गण पश्चिमी बंगाल में उच्च शिक्षा के मामले में अनुसूचित जातियों की स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हो पाया है। 2004–05 में इस राज्य में मात्र 4.7 प्रतिशत युवाओं की पहुँच उच्च शिक्षा तक थी जो 2011–12 में बढ़कर मात्र 8.6 प्रति ही हो पायी। अनुसूचित जाति की 3. 12 प्रतिशत युवतियों की पहुँच उच्च शिक्षा तक थी जो 2011–12 में बढ़कर 7.1 ही हो पायी। अनुसूचित जाति के पुरूषों में सकल नामांकन अनुपात 2004–05 में 6.25 से बढ़कर 2011–12 में मात्र 10 प्रतिशत हो पाया। लगभग इसी प्रकार की प्रवृत्ति पंजाब में भी परिलक्षित होती है।

अनुसूचित जन–जातियों में उच्च शिक्षा में पहुँच के मामले में सर्वाधिक अच्छी प्रवृत्ति अरूणांचल प्रदेश में दिखायी देती है जहाँ 2004–05 में सकल नामांकन अनुपात 7.75 से बढ़कर 2011–12 में 35.1 हो गया। इसी अवधि में पुरूषों में 9. 94 से बढ़कर 43.8 और महिलाओं में 5.72 से बढ़कर 27.4 हो गया। अनुसूचित जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या मध्य प्रदेश में है। लेकिन यहाँ उच्च शिक्षा तक इनकी पहुँच पहले भी सीमित थी और अब भी सीमित है। अनुसूचित जन–जातियों में उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात 2004–05 में 4.28 था जो 2011–12 में 6.9 ही हो पाया। महिलाओं में यह 2.99 से 6.2 और पुरूषों में 5.59 से 7.6 ही हो पाया। संख्या की दृष्टि से छत्तीसगढ़ दूसरा राज्य है जहाँ अनुसूचित जन–जातियों की स्थिति सर्वाधिक असंतोषजनक है। देश का यह एक मात्र राज्य है जहाँ 2004–05 के सापेक्ष 2011–12 में अनुसूचित जनजातियों में सकल नामांकन अनुपात में कमी आयी है। 2004–05 में यह अनुपात 7.35 से घटकर 2011–12 में 5.1 रह गया। अनुसूचित जनजाति की महिलाओं में सकल नामांकन अनुपात 2004–05 में 5.24 से घटकर 2011–12 में 4.6 रह गया और पुरूषों में 9.58 से घटकर 5.6 रह गया। देश में अनुसूचित जनजातियों की 75 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या वाले सभी राज्यों–मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और गुजरात में अनुसूचित जन–जातियों में उच्च शिक्षा तक पहुँच न केवल असंतोषजनक है बल्कि उसमें विगत वर्षों में अपेक्षित सुधार भी नहीं हुआ है। आदिवासी बहुल राज्यों–नागालैण्ड, मिजोरम्, मणिपुर में स्थिति कुछ बेहतर है (तालिका 4.11)।

वर्ष 2001–02 में अनुसूचित जातियों के लिए सकल नामांकन अनुपात समग्र जनसंख्या के लिए सकल नामांकन अनुपात का 71.60 प्रतिशत था जो वर्ष 2012–13 में भी 71.56 प्रतिशत है। इसी प्रकार अनुसूचित जनजातियों के लिए सकल नामांकन अनुपात वर्ष 2001–08 में समग्र सकल नामांकन अनुपात का 51.85 प्रतिशत था जो वर्ष 2012–13 में 52.13 प्रतिशत ही हो पाया है। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि उच्च शिक्षा में सामाजिक स्तर पर जो विषमता 2001–02 में विद्यमान थी वह आज भी विद्यमान है। आर्थिक विकास की उच्च दर के वातावरण में भी उच्च शिक्षा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के युवाओं – लड़कों एवं लड़कियों को बराबरी के स्तर पर सहभागिता प्राप्त नहीं हो सकी है।

सन्दर्भ

बेन्सिमॉन, ई॰ मारा (2009) : कीज *टु अण्डरस्टैंडिंग दी इम्पॉरटेन्स ऑफ इक्विटी इन हायर एजूकेशन, सेन्टर ऑफ अर्बन एजूकेशन रोजेज स्कूल ऑफ अर्बन एजूकेशन,* यूनिवर्सिटी आज सदर्न कैलीफोर्निया,

सार्वी जौको (2012) : *एक्सेस विदाउट इक्विटी : फाइण्डिंग ए बेटर बैलेंस इन हायर एजूकेशन इन एशिया, हायर एजूकेशन इन डायनेमिक एशिया,* एशिया विकास बैंक, मनीला,

बुल, बार्ग एल. (2004) : *दी जस्टीफिकेशन एण्ड इक्वैलिटी इन हायर एजूकेशन, इन इण्डियन यूनीवर्सिटी*, ब्लूमिंगटन पी.ए.

भारत सरकार (2009) : *भारत का संविधान, न्याय और कम्पनी मामलों का मन्त्रालय*, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली,

,